In the court of Sri Sudesh Kr. Srivastava, District and Additional Sessions Judge, III, Buxar

A.B.P. no. - 450/2026

Abhishek Pandey Vs State

न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, तृतीय, बक्सर।

अग्रिम जमानत संख्या - 450 / 2026

अभिषेक पांडेय
बनाम्
बिहार सरकार

अभियुक्त के तरफ से – श्री शशिकांत उपाध्याय, (विद्वान अधिवक्ता)
अभियोजन के तरफ से – श्री केदार नाथ तिवारी, (विद्वान लोक अभियोजक)

12.05.2026 आवेदक/अभियुक्त अभिषेक पांडेय उर्फ अभिषेक कुमार पांडेय उम्र 39 वर्ष पिता– स्व0 बिरेन्द्र पांडेय की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन ब्रहम्पुर थाना कांड संख्या 667/2023 अंतर्गत धारा 341, 323, 498ए, 504, 506/34 भा0द0वि0 एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम को परिचालित किया गया। अग्रिम जमानत आवेदन की एक प्रति लोक अभियोजक को प्राप्त करायी जा चुकी है। इस आवेदन पर आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता एवं विद्वान् लोक अभियोजक को सुना।

2. प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में यह है कि दिनांक 18.06.2018 को सूचिका की शादी सह–अभियुक्त से संपन्न हुआ जिमसें उपहार स्वरूप सोने चांदी के कई गहने, इलेक्ट्रॉनिक सामान एवं कुल मिलाकर लगभग आठ लाख रूपये खर्च हुआ शादी के उपरांत वह अपने ससुराल चली गई। उसका चार साल का बच्चा है। बच्चा होने के बाद उसके पति, बड़ी गोतनी सरोज देवी, पति अभिषेक पांडेय साजिश के तहत मिलकर उसे प्रताड़ित करने लगे और बोले कि अपने पिता से सात लाख रूपये मांगो नहीं तो तुम्हारा जान ले लेंगे। वह जब इसका विरोध किया तो उसके साथ अमानवीय व्यवहार करने लगे चार चार एवं पांच–पांच दिनों तक खाना पीना कुछ भी नहीं देते थे। इसी बीच उसकी तबियत खराब हुआ तो इलाज के नाम पे एक साजिश के तहत उसकी हत्या करने के उद्देश्य से बिहिटा स्थित पैनल गावं में किराये के मकान में छुपा कर रख दिए एवं उसके पिता साथ परिवार को सूचना कर दिये कि प्रियंका इस दुनिया में नहीं है और इस सूचना पर उसके मैके के सभी लोग उसे खोजने लगे इस बीच सूचिका की बड़ी गोतनी के सहयोग से उसके पति के साथ मिलकर जान से मारने के नीयत से बिहिटा में किराये के मकान में रखकर बहुत ही बेरहमी से मार कर सरफाड़ दिये, हाथ तोड़ दिये और बायां हाथ चाकू से फाड़ दिये पता नहीं कौन कौन सी दवा और सूई देते थे। वह होश हवाश में नहीं थी एवं भोजन नहीं देने के कारण आंख से भी दिखाई देना बंद हो गया। वह बिल्कुल कंकाल सह मरणासन की स्थिति में हो चुकी थी कि अचानक एक दिन उसके मैके के पिता जी, भाई एवं उसके गांव के मुखिया, सरपंच साथ तथा उसे दिनांक 27.05.2023 को बेहोशी की हालत में पुलिस के सहयोग से बरामद कर इलाज कराये तब वह आज किसी तरह बोलने एवं समझाने में सक्षम हो पाई है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क है कि, आवेदक/अभियुक्त का पूर्व में कोई भी जमानत आवेदन या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में न माननीय उच्च न्यायालय पटना में न कही दाखिल किया है न कहीं लंबित है।

आवेदक निर्दोष है तथा जान बूझकर झूठा मुकदमा में फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक द्वारा सूचिका से दहेज की मांग नहीं की गयी न ही दहेज हेतु प्रताड़ित किया गया है। सूचिका की सुरक्षा का दायित्व उसके पति का होता है जो कि आवेदक नहीं है। विलंब से दर्ज प्राथमिकी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आवेदक का नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं है। सह–अभियुक्त जमानत की सुविधा का लाभ उठा रहे है। इसलिए अभियुक्त/आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाये।

4. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया है तथा कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। इसलिए अभियुक्त का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

5. उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नहीं है। आवेदक सूचिका का भसुर है। आवेदक के विरूद्ध सूचिका पर दहेज हेतु किसी प्रकार का उत्पीड़न का विशिष्ट आरोप नहीं है। आवेदक के विरूद्ध अनुसंधान जारी है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अतः उक्त तथ्यों विवेचना को देखते हुये आवेदक/अभियुक्त अभिषेक पांडेय उर्फ अभिषेक कुमार पांडेय को आदेश प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर आत्मसमर्पण/गिरफतारी की स्थिति में अग्रिम जमानत आवेदन 10000 (दस हजार) X 2 बंध पत्र तथा समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर स्वीकृत किया जाता है तथा निर्देश दिया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 का अंडरटेंकिग देंगे एवं विचारण में सहयोग करेंगे।

(लेखापित व शुद्धिकृत)

(सुदेश कुमार श्रीवास्तव)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय, बक्सर।

दिनांक–12.05.2026

आदेश की तिथि	12/05/2026
आदेश में नियत किये जाने की तिथि	कोई नहीं
अपलोडिंग की तिथि	13/05/2026
अपलोडेड द्वारा	Rahul Singh (Steno)